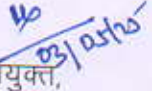
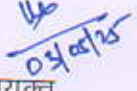


न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
आर0एम0पी0 वाद सं0-02/2025-26

अवर निबंधक, पाकुड़ वगैरह
बनाम
मेसर्स माहिरा स्टोन वर्क्स
प्रो0-मेजहारूल इस्लाम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<u>—: आदेश :-</u> यह वाद जिला अवर निबंधक, पाकुड़ के कार्यालय पत्रांक-77/नि0, दिनांक-11.03.2025 एवं पत्रांक-148/नि0, दिनांक-05.04.2025 के माध्यम से विपक्षी के द्वारा निबंधन के क्रम में प्रस्तुत किये निबंधित दस्तावेज सं0-73, दिनांक-09.01.2024 में अवर निबंधक, पाकुड़ के द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के बाबत बकाया कमी मुद्रांक शुल्क 4,15,376.00 रुपये एवं निबंधन शुल्क 3,11,532.00 रुपये की वसूली हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वर्णित वाद संस्थित करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष रखे जाने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कमी मुद्रांक शुल्क के एवज में जमा की गयी राशि 4,15,376.00 रुपये एवं निबंधन शुल्क के एवज में जमा की गयी कमी निबंधन शुल्क की राशि 3,11,532.00 रुपये की ऑनलाईन पेमेंट रिसिप्ट की प्रति दाखिल करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। विपक्षी के विरुद्ध बकाया मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि उनके द्वारा जमा की गयी है एवं उपस्थित जिला अवर निबंधक, पाकुड़ के द्वारा विपक्षी की कथन की पुष्टि की गयी। चूँकि वर्णित वाद में बकाया मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि विपक्षी के द्वारा जमा कर दी गयी है। इस हेतु विपक्षी के विरुद्ध प्रारम्भ की गयी वर्णित वाद की कार्रवाई को जारी रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त परिपेक्ष्य में वर्णित वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त, पाकुड़।  उपायुक्त, पाकुड़।	